

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 1018 / 2012 / अलवर
2. अपील संख्या 1019 / 2012 / अलवर
3. अपील संख्या 1020 / 2012 / अलवर
4. अपील संख्या 1021 / 2012 / अलवर
- ✓ 5. अपील संख्या 1022 / 2012 / अलवर

मैसर्स राकेश जनरल स्टोर,
4, प्रथम तल, स्वर्ग रोड, अलवर

..... अपीलार्थी

बनाम

1. उपायुक्त(अपील्स)
वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-बी, अलवर

..... प्रत्यर्हीगण

6. अपील संख्या 2015 / 2012 / अलवर
7. अपील संख्या 2016 / 2012 / अलवर
8. अपील संख्या 2017 / 2012 / अलवर
9. अपील संख्या 2018 / 2012 / अलवर
10. अपील संख्या 2019 / 2012 / अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-बी, अलवर

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स राकेश जनरल स्टोर,
4, प्रथम तल, स्वर्ग रोड, अलवर

..... प्रत्यर्ही

खण्डपीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित :

श्री अलकेश शर्मा

अभिभाषक।

श्री रामकरण सिंह

उप राजकीय अभिभाषक

.....व्यवसायी की ओर से

.....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18.09.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त 5 अपीलों अपीलार्थी-व्यवसायी (अपील संख्या-1018 से 1022 / 2012 / अलवर) तथा उपर्युक्त 5 अपीलों अपीलार्थी-राजस्व (अपील संख्या-2015 से 2019 / 2012 / अलवर) द्वारा उपायुक्त अपील्स, वाणिज्यिक कर विभाग अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित संयुक्त अपीलीय आदेश दिनांक

लगातार.....2

12.03.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, अलवर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 एवं 61 अन्तर्गत पारित पृथक-पृथक आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया है।

2. उपरोक्त सभी अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने एवं एक ही पक्षकार से संबंधित होने के कारण इनका निर्णय एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही हैं।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवसायी द्वारा फर्म ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की खरीद-बिक्री की जाती है। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत्त-बी, अलवर द्वारा दिनांक 05.05.2011 को व्यवसायी फर्म का सर्वेक्षण किया गया। व्यवसायी फर्म द्वारा ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी (परपेटी वैन मेली इण्डिया लिमिटेड द्वारा निर्मित) को 5 प्रतिशत वैट वसूल कर विक्रय किया जाता है। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा इस प्रकार ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी को नियत कर दर से कम दर पर विक्रय किया जाना पाये जाने पर व्यवसायी को दिनांक 01.04.2006 से सर्वेक्षण दिनांक तक की खरीद-बिक्री के ब्यौरे सहित उपस्थित होने हेतु निदेशित किया। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण के पश्चात की गई जांच में यह निर्धारित किया गया कि व्यवसायी ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी पर नियत दर से निम्न दर पर माल का विक्रय किया जा रहा है। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा देय कर की निरन्तर अवहेलना की जा रही है। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा जांच में निर्धारित किये गये तथ्यों के आधार पर प्रकरणों को उपायुक्त (प्रशासन) अलवर से उक्त प्रकरणों को निष्पादन हेतु स्थानान्तरण करने का निवेदन किया। तत्पश्चात उपरोक्त प्रकरण उपायुक्त (प्रशासन) ने कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-बी, अलवर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) को प्रेषित किये। सशक्त अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि आलौच्य अवधियों में ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी (परपेटी वैन मेली इण्डिया लि0 द्वारा निर्मित एलपनलीबे, मेनटोस आदि) की बिक्री 4/5 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया है, जबकि ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी की बिक्री पर 12.5/14 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया जाना चाहिए। सशक्त अधिकारी द्वारा बिक्रीत माल ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी मानते हुए इसे सामान्य कर दर अर्थात् 12.5/14 प्रतिशत की दर से कर योग्य माना है तथा अपने पृथक-पृथक आदेश दिनांक 24.08.2011 द्वारा व्यवसायी के विरुद्ध इसकी बिक्री पर अंतर कर, अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत ब्याज एवं धारा 61 के अंतर्गत शास्ति आरोपित की है, जिनका विवरण निम्न तालिका अनुसार दर्शाया जा रहा है :-

क्र.सं.	अपील सं.	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष व आदेश दिनांक	कर	शास्ति	ब्याज	योग
1	1018/12	109/आरवेट/11-12/उपा/अपील्स	2006-07/24.08.11	1,55,924/-	3,11,848/-	90,436/-	5,58,208/-
2	1019/12	110/आरवेट/11-12/उपा/अपील्स	2007-08/24.08.11	1,91,710/-	3,83,420/-	88,186/-	6,63,316/-
3	1020/12	111/आरवेट/11-12/उपा/अपील्स	2008-09/24.08.11	2,08,101/-	4,16,202/-	70,754/-	6,95,057/-
4	1021/12	112/आरवेट/11-12/उपा/अपील्स	2009-10/24.08.11	2,33,288/-	4,66,576/-	51,323/-	7,51,187/-
5	1022/12	113/आरवेट/11-12/उपा/अपील्स	2010-11/24.08.11	2,59,847/-	5,19,694/-	25,985/-	8,05,526/-

उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गईं। अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति राशि को अपास्त किया है तथा कर व ब्याज की राशि को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी के उक्त संयुक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी-व्यवसायी द्वारा कर व ब्याज के बिन्दु पर एवं विभाग द्वारा शास्ति के बिन्दु पर यह द्वितीय अपीलें पेश की गई हैं।

4. व्यवसायी के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों में यह निवेदन किया कि व्यवसायी द्वारा किया गया उत्पाद वैट अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 163 के तहत आता है तथा उसी के अनुसार व्यवसायी की ओर से कर संग्रहित करते हुए राजकोष में जमा कराया जा रहा है। अग्रिम कथन किया कि अधिनियम लागू होने के समय अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 154 'Confectionery excluding chocolate' थी, जो दिनांक 08.05.2006 की अधिसूचना से संशोधित होकर Excluding branded Confectionery हुआ तथा दिनांक 01.06.2006 से नई प्रविष्टि संख्या 163 आयी। 'Sugar Candy made of sugar and glucose but excluding coco' जिसके अनुसार कुछ उत्पाद इस श्रेणी के होने के कारण तदनुसार कर संग्रहित करके जमा कराया गया। अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 163 में All type of sugar candy सम्मिलित है तथा 'Coco' से निर्मित केण्डी इसमें सम्मिलित नहीं है। विधायिका ने Sugar Candies made of Sugar and glucose and containing Flavours, Creame and colors को स्पष्टतः पृथक् नहीं किया है। विद्वान अभिभाषकगण ने लेब रिपोर्ट दर्शाते हुये कथन किया कि इसके उत्पाद में 90 प्रतिशत से अधिक शुगर है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय Gurudev dutta V. Margyadit and others Vs. State of Maharashtra and others 2001 (004) SSC - 0534(SC) का दृष्टान्त उद्धरित किया। साथ ही उन्होंने कथन किया कि व्यवहारियों के उत्पाद प्राथमिक रूप में Sugar & Glucose से बने हैं तथा नाम मात्र के Flavouring Substances, Emulsifiers and colorants होते हैं। विद्वान अभिभाषकगण ने सीटीओ बनाम हीरा लाल मुरलीधर, 1993 टैक्स वर्ल्ड 32 सैक्शन-1 में मीठी गोली जिसमें 90 प्रतिशत शुगर को कन्फेक्शनरी नहीं, बल्कि शुगरकेण्डी माना है। विद्वान अभिभाषकगण ने अतिरिक्त आयुक्त का अधिनियम की धारा 12-ए आरएसटी एक्ट का आदेश दिनांक 02.01.1989 मैसर्स अशोक एन्टरप्राइजेज, कोटा का दृष्टान्त देते हुए Lozenges Toffee को मीठी गोली माना जाना एवं विभाग पर बाध्यकारी होना बतलाया है। विद्वान अभिभाषक की ओर से यह भी कथन किया गया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.06.2008 के द्वारा अनुसूची चतुर्थ में नई प्रविष्टि 174 जोड़ी गई तदनुसार दिनांक 01.04.2006 से दिनांक 07.05.2006 तक की अवधि हेतु ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी पर 4 प्रतिशत की कर दर विहित की गई जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने समस्त माल को ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी मानकर सामान्य कर दर तथा ब्याज आरोपित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः उन्होंने व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.04.2006 से अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 154 जोड़ी गई थी जो निम्न प्रकार से थी :-
"154 unbranded bakery products including cookies, cakes and pastries, confectionery excluding chocolates" दिनांक 08.05.2006 की अधिसूचना से confectionery के पूर्व में unbranded जोड़ा गया जिसका तात्पर्य यह हुआ कि ब्राण्डेड कन्फेक्शनरी स्वतः ही प्रविष्टि संख्या 154 से बाहर हो गई एवं अनुसूची पंचम के अनुसार सामान्य कर दर से कर योग्य हो गई। उन्होंने हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2017 मैसर्स परफेटी वैन मेले इण्डिया प्रा.लि. बनाम सरकार प्रकरण संख्या 473/2011 एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय ने समान तथ्यों पर आधारित प्रकरणों में ब्राण्डेड

२०

१५

लगातार.....4

कन्फेशनरी की बिक्री पर सामान्य कर दर निर्धारित की है एवं आरोपित ब्याज को बहाल किया है। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम सरकार (2009) 23 VST 249 (SC) के परिप्रेक्ष्य में आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित निर्णय इन प्रकरणों पर पूर्णतया आच्छादित होने से उन्होंने व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। व्यवसायी द्वारा आलौच्य अवधियों में बिक्रीत माल अधिनियम की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 163 "Sugar Candy made of sugar & Glucose but excluding coco" के अनुसार 4/5 प्रतिशत करदेयता का माल नहीं होकर Sugar and Glucose के अलावा अन्य खाद्य सामग्री की Mixing and Blending सिस्टम से निर्मित उत्पाद की बिक्री होने पर व्यवहारियों द्वारा बिक्रीत माल Sugar Candy नहीं होकर ब्राण्डेड कन्फेशनरी होना सिद्ध होता है। निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में समस्त तथ्यों को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुये व्यवहारियों द्वारा की गई विवादित बिक्री को ब्राण्डेड कन्फेशनरी प्रोडक्ट की ही बिक्री निर्धारित की गई है एवं अधिनियम की अनुसूची-V के तहत निर्धारित सामान्य दर से करदेयता निर्धारित करते हुये व्यवहारियों के विरुद्ध आलौच्य अवधियों में करारोपण किया है, वह विधिनुकूल है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने समान तथ्यों पर विवादित कन्फेशनरी पर एसबी एसटीआर/रेफरेंस संख्या 473/2011 मैसर्स परफेटी वैन मेले इण्डिया प्रा०लि०, जयपुर व अन्य बनाम उपायुक्त (अपील्स) तृतीय व अन्य निर्णय दिनांक 17.02.2017 में दिये गये निर्णायक निर्णय में सुस्थापित किया है कि :— **"In my view, applying the common parlance test which has been held appropriate by the Apex court time and again in matters like this, the products in which the assessee are dealing, are certainly branded toffees. Taking into consideration the aforesaid reasoning of the Apex court as well as by this court (supra), in my view the finding reached by all the three authorities in unison is well reasoned and no interference is required to be taken into consideration and accordingly while the tax is upheld and consequently the interest being consequential, is also upheld."**

माननीय न्यायालय का उपरोक्त निर्णय व्यवसायी द्वारा बिक्रीत माल/समान प्रकृति के माल की बिक्री के सम्बन्ध में ही है, हस्तगत प्रकरणों में पूर्णतः लागू होने से अन्तर कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

जहां तक शास्ति का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 21.04.2009 प्रकरण श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू व अन्य (2009) 23 VST 249 (SC) का शास्ति के संबंध में निर्णायक अंश निम्न प्रकार है :—

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellants account books. Where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers turnover disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands aside."

चूंकि उक्त प्रकरण वस्तुओं के वर्गीकरण से सम्बन्धित था, जो शुरू से ही विवादित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक से जबकि व्यवहारियों ने समस्त बिक्री विवरणियों में

20

145

लगातार.....5

दर्शायी है, आरोपित शास्तियों को अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है, तदनुरूप इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व की अपीलें अस्वीकार किए जाते हैं।

7. उपरोक्तानुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुये, व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है, साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा शास्ति के बिंदु पर प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।

8. विद्वान अभिभाषक व्यवहारी की ओर से बहस के समय यह कथन किया गया था कि यदि व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल अमुसूची पंचम में मानकर सामान्य कर दर 14 प्रतिशत की श्रेणी में माना जाता है तो इस संबंध में व्यवहारी को इनपुट टैक्स दिये जाने बाबत भी आदेश पारित किये जावें। इस संबंध में सशक्त अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि यदि व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 18 की शर्तों की पूर्ति की जाती है तथा आवश्यक इनवाइस व अन्य वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते हैं तो इस संबंध में विधिक प्रावधानों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे।

9. परिणामस्वरूप व्यवसायी तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत समस्त अपीलें अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

10/08/2012
(नरेंद्र राम)
सदस्य


(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष